न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम सं 1, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : **मनोज मीना,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी (फेटल क्लेम) वाद संख्या : 39/2020
CIS Reg. No. - Fatel Claim Case/480/2020
CNR No. - RJJM01-009880-2020

1. चौथाराम पुत्र तोगाराम , आयु लगभग 46 वर्ष, (मृतक का पिता)
2. श्रीमती देवी पत्नी चौथाराम, आयु लगभग 44 वर्ष, (मृतक की माता)
   निवासी–मुकाम पोस्ट–रायसर, थाना व तहसील–शेरगढ, जिला–जोधपुर (राज.)।

—— वादीगण

ब ना म

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कमरा नं.–127, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर जरिये चेयरमेन।
2. सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शेरगढ, जिला–जोधपुर , (राज0)।

—— प्रतिवादीगण

दीवानी फेटल क्लेम वाद अंतर्गत धारा 1(ए), घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855

उपस्थित :

1. श्री श्याम लाल नरेडा, श्री बसंत सैनी, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते वादीगण।
2. श्री अमित छंगाणी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण।

निर्णय **दिनांक : 29.07.2026**

1. वादीगण की ओर से प्रस्तुत दीवानी (फेटल क्लेम) वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि, वादी नम्बर 1 मृतक श्रवणराम का पिता तथा वादी नम्बर 2 मृतक श्रवणराम की माता हैं, जो मृतक के विधिक उत्तराधिकारी एवं आश्रित हैं। प्रार्थीगण/वादीगण का पुत्र श्रवणराम दिनांक 13.11.2019 को रात्रि 12.00 बजे लगभग अपने दास्त नरपतराम के साथ बाजरी के डोकों को बारिश में भीगने से बचाने के लिए इकठ्ठे कर रहा था कि उसी समय वहां से काफी नीचे से गुजर रहे बिजली के तार डोकों के टच (छू) हो जाने से श्रवणराम व नरपतराम के शरीर में करंट प्रवाहित हो गया, खेत पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत

बालेसर सरकारी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने चैक कर श्रवणराम को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना शेरगढ, जिला जोधपुर में देने पर मर्ग रिपोर्ट संख्या 26 / 2019 दर्ज कर पुलिस ने जांच की। बिजली के तारों को उचित ऊँचाई पर बांधना एवं उनकी समय–समय पर देखभाल करने व उन्हें करंट मुक्त रखना, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी बिजली विभाग की थी किन्तु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं किया। दुर्घटना बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही एवं उपेक्षा का नतीजा थी जिसके लिए प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मृतक श्रवणराम वक्त दुर्घटना 19 वर्षीय स्वस्थ, मेहनती एवं होशियार नवयुवक था, जो कि कृषि करने का कार्य करके 10000 / –रूपये मासिक आय अर्जित कर प्रार्थीगण के भरण पोषण में मदद करता था। वक्त दुर्घटना वह 19 वर्ष था तथा उसके स्वस्थ शरीर को देखते हुए वह 60 वर्ष का होने तक सक्रिय रूप से कार्य करता और अपने परिवार की देखरेख, सार–संभाल व भरण–पोषण करता। उसकी अकाल मृत्यु से होने वाली आय से सदैव के लिए वंचित हो गये। मृतक श्रवणराम की मृत्यु के पश्चात आय का कोई स्त्रोत शेष नहीं है। वादीगण अपने पुत्र से प्राप्त होने वाले पुत्र सुख से हमेशा के लिए वंचित हो गए हैं तथा उसकी मृत्यु से गहरी, मानसिक वेदना व पीडा का सामना कर रहे है। श्रवणराम के 60 वर्ष तक जीवित रहकर आय अर्जित करने, वर्तमान अर्जित आय से भविष्य में 50 प्रतिशत और अधिक आय अर्जित करने, श्रवणराम के अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म में होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण, प्रतिवादीगण से कुल 52,71,000 / – रूपये क्षतिपूर्ति राशि व दावा दायरी से अदायगी तक प्रतिवादीगण से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अनुतोष में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रकरण में घटना स्थल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं ना ही प्रार्थीगण जयपुर महानगर के निवासी है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर संदेह किया गया है एवं मिन प्रतिवादीगण की कोई लापरवाही नहीं मानी है। मृतक श्रवणराम की मृत्यु शादी समारोह के दौरान डी.जे. के स्पीकर की पिन में हाथ लगाने से करंट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई, जिसका विभाग से कोई लेना–देना नहीं था। फिर भी विभाग द्वारा

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्युत दुर्घटना की निगम नियमानुसार एक बार का सेटलमेंट के तहत मृतक के पिता चौथाराम को मुआवजा राशि 5,00,000/–रूपये चैक संख्या 140752 दिनांकित 23.06.2020 को भुगतान किया जा चुका है। जिसके संबंध में चौथाराम ने एक शपथ पत्र विभाग को किसी भी प्रकार का क्लेम प्रस्तुत नहीं करने बाबत दिया है। विभाग की लापरवाही की वजह से किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मृतक की मृत्यु स्वयं की लापरवाही से हुई है। मृतक की उम्र व आय का दस्तावेज वादीगण ने पेश नहीं किया है तथा अंत में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी नहीं होना कथित करते हुए वादीगण का वाद मय हर्जा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

3. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यकों की विरचना की गई :–

(1). आया दिनांक 13.11.2019 को रात्रि 12 बजे लगभग वादीगण का पुत्र श्रवणराम अपने दोस्त नरपतराम के साथ बाजरी के डोकों को बारिश में भीगने से बचाने के लिए इकठ्ठा कर रहे थे, उसी समय प्रतिवादीगण की लापरवाही से नीचे से गुजर रहे बिजली के तार डोकों को टच कर गये, जिससे श्रवणलाल व नरपतराम के शरीर में करंट प्रवाहित हो जाने के कारण श्रवणराम की मृत्यु हो गयी ?

–– वादीगण

(2). आया प्रतिवादीगण की लापरवाही से मृतक श्रवणराम की मृत्यु होने से वादीगण, प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति स्वरूप 52,71,000/– रूपये तथा दावा दायरी से अदायगी तक 18 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

–– वादीगण

(3). आया श्रवणराम की मृत्यु शादी समारोह के दौरान डीजे के स्पीकर की पिन में हाथ लगाने से करंट आने के कारण हुई थी, जिस पर विभाग द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से मुश्त सेटलमेंट के तहत प्रार्थी चौथाराम को 5,00,000/–रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ?

– प्रतिवादीगण

(4). आया इस प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है ?

– प्रतिवादीगण

(5). अनुतोष

4. वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में ए. डब्ल्यू. 1 चौथाराम को परीक्षित कराया गया है।

5. वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित करवाया गया :—

क.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श 1	मर्ग रिपोर्ट
02.	प्रदर्श 2	तहरीरी रिपोर्ट
03.	प्रदर्श 3.	चालान शव डॉक्टरी परीक्षण
04.	प्रदर्श 4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
05.	प्रदर्श 5	पंचनामा लाश
06.	प्रदर्श 6	फर्द सूरत हाल लाश
07.	प्रदर्श 7	सुपुर्दगीनामा लाश
08.	प्रदर्श 8	नक्शा मौका रोजनामचा रिपोर्ट
09.	प्रदर्श 9	अंतिम रिपोर्ट
10.	प्रदर्श 10	लीगल नोटिस अधिवक्ता
11.	प्रदर्श 11 व 12	रजिस्ट्री की डाक रसीद

6. प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब दावे के समर्थन में डी.डब्ल्यू. 1 भवानी सिंह को साक्ष्य में परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ पत्र चौथाराम डी. 1 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

8. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः तर्क दिया है कि मृतक खेत में काम कर रहा था और उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गयी। वादीगण द्वारा इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, जिसकी मर्ग रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अनुसंधान में दुर्घटना का कारण बिजली का झटका माना है। दुर्घटना स्थल पर बिजली का तार झूल रहा था। प्रतिवादीगण ने वादी को पॉच लाख रूपये का भुगतान स्वयं की लापरवाही मानते हुए दिया है तथा घटना प्रतिवादीगण की लापरवाही से होने का तथ्य प्रमाणित है और वादीगण को वाद में चाहे अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया।

9. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित सम्मानित न्यायिक द्रष्टांत पेश किये :–

(1). **2002 ACJ 526,** Madhya Pradesh Electricity Board Vs Shail Kumari and others.

(2). **2023 (1) R.A.R. 342 (Raj.)** Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. through Asstt. Engineer & Ors. Vs. Smt. Lad Kanwar & Ors.

(3). **2023 (1) R.A.R. 369 (Raj.)** Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. through its Managing Director/Chairman, Vs. Smt. Sita Devi & Ors.

10. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः तर्क दिया है कि इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। कंपनी के पंजीकृत पते पर ही दावा किया जा सकता है। तथाकथित घटना मृतक के डीजे के तार छूने से घटित हुई है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण की लापरवाही किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है तथा वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. मैंने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का विवाद्यकवार विनिश्चय निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 व 3 :–

12. **विवाद्यक संख्या 1** – '' आया दिनांक 13.11.2019 को रात्रि 12 बजे लगभग वादीगण का पुत्र श्रवणराम अपने दोस्त नरपतराम के साथ बाजरी के डोकों को बारिश में भीगने से बचाने के लिए इकठ्ठा कर रहे थे, उसी समय प्रतिवादीगण की लापरवाही से नीचे से गुजर रहे बिजली के तार डोकों को टच कर गये, जिससे श्रवणलाल व नरपतराम के शरीर में करंट प्रवाहित हो जाने के कारण श्रवणराम की मृत्यु हो गयी ? ''

13. **विवाद्यक संख्या 3** – '' आया श्रवणराम की मृत्यु शादी समारोह के दौरान डीजे के स्पीकर की पिन में हाथ लगाने से करंट आने के कारण हुई थी, जिस पर विभाग द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से मुश्त सेटलमेंट के तहत प्रार्थी चौथाराम को 5,00,000 / –रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ? ''

14. विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। ये दोनों

विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका विवेचन न्याय हित में एक साथ किया जा रहा है।

15. इन विवाद्यकों के संबंध में वादीगण की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें वादी ए.डब्ल्यू. 1 चौथाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनर्रावत्ति की है।

16. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि बिजली विभाग से हमे 5 लाख रूपये मिल चुके है। प्रदर्श डी 1 पर मेरे हस्ताक्षर है, किन्तु इसमें अंग्रेजी में लिखा है, वो मैं पढ नहीं सकता हूॅं। यह कहना गलत है कि हमने बिजली विभाग में मुआवजे के लिए आवेदन किया हो। प्रदर्श डी 1 पर हस्ताक्षर विभाग द्वारा जब मुझे 5 लाख का चैक दिया था, तब करवाये थे। मैं घटना के समय घटना स्थल से 10–15 फिट दूरी पर था। घटना घर के पास ही घटित हुई थी। बिजली विभाग वाले तारों के रख–रखाव के लिए समय पर नहीं आते, पर देर–सवेर आते है। यह कहना सही है कि घटना की सूचना बिजली विभाग को दी थी, तब वह मौके पर आये थे। यह कहना सही है कि मैंने मेरे पुत्र की आय बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। मेरा पुत्र कृषि कार्य के अलावा अन्य किसानों के पास दिहाडी–मजदूरी भी करता था, जिससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पुत्र की गलती से घटित हुई हो। मेरे पुत्र को अस्पताल मैं ही लेकर गया था , जो घटना स्थल से 25–30 किलोमीटर दूर है। मेरा पुत्र अविवाहित था।

17. इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें गवाह डी.डब्ल्यू. 1 भवानी सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में जवाब दावे में वर्णित तथ्यों की पुनर्रावत्ति की है।

18. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मैंने दुर्घटना होते नहीं देखी। जब दुर्घटना हुई, तब मेरी पोस्टिंग ए.सी.ओ.एस. जालौर में थी। यह सही है कि प्रदर्श डी 1 पर प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती देवी के हस्ताक्षर नहीं है। श्रवणराम की मृत्यु बिजली करन्ट से ही हुई थी, यह सही है। **इस प्रकरण में क्षति राशि पीओ और एक्सईएन की इन्क्वायरी के बाद ही क्षति राशि जारी की गयी थी। यह सही है कि हमारा सबसे बडा कार्यालय जयपुर में विद्युत भवन में स्थित है।** यह कहना सही है कि

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पत्रावली में पेश नहीं है, अज खुद कहा कि वह रिपोर्ट अधिशासी अभियंता को भेजी जाती हैं।

19. इस प्रकार उक्त विवाद्यकों के संबंध में पत्रावली पर पक्षकारान की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके उपरोक्तानुसार अवलोकन के उपरांत मेरे विनम्र मत में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 मृतक का पिता है तथा गवाह ने अपने सशपथ बयानों में दौराने प्रति परीक्षण यह सशपथ कथन किया है कि वह घटना के समय घटना स्थल से 10–15 फिट दूरी पर था और साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में यह तथ्य भी कथित किया है कि वह अपने पुत्र को अस्पताल लेकर गया था , अर्थात साक्षी, घटना का चश्मदीद गवाह है और जिसने घटना घटित होते हुए देखी है। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह डी.डब्ल्यू. 1 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई चश्मदीद गवाह भी परीक्षित नहीं करवाया गया है बल्कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में घटना घटित होने के समय स्वयं की पोस्टिंग जालौर में होना कथित करते हुए दुर्घटना होते नहीं देखने की साक्ष्य दी है। प्रकरण में पक्षगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व अभिवचनों से यह तथ्य स्वीकृत है कि मृतक श्रवणराम की मृत्यु बिजली के करंट उसके शरीर में प्रवाहित होने के कारण हुई। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि मृतक श्रवणराम की मृत्यु पर मृतक के पिता चौथाराम को प्रतिवादीगण विभाग द्वारा बतौर क्षतिपूर्ति एकमुश्त सेटलमेंट 5 लाख रूपये का भुगतान जरिये चैक दिया गया था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 घटना का चश्मदीद गवाह है, जिसने वादपत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए मृतक श्रवणराम का खेत में कार्य के दौरान बिजली के तारों से आए करंट के संपर्क में आने का कथन किया है तथा इस गवाह ने विद्युत तारों से करंट आने का कथन करते हुए, विद्युत नियमों का उल्लंघन कर प्रतिवादीगण द्वारा अपने कार्य में लापरवाही किए जाने के तथ्य स्थापित किए जाने की ताईद की है। इस गवाह की जिरह में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी है, जिससे इस गवाह के मुख्य परीक्षण की विश्वसनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो। इस गवाह ने मृतक श्रवणराम का बिजली के तारों से करंट आने का जो कथन किया है, उसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है कि मृतक श्रवणराम की करंट की वजह से मृत्यु

ना हुई हो बल्कि प्रतिवादीगण की इस सबंध में स्वीकारोक्ति है। इस संबंध में वादी पी.डब्ल्यू. 1 के पिता ने घटना की जो मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श 2 दर्ज करवायी थी, उसमें भी मृतक श्रवणराम के बिजली का अचानक करंट लगने से मृत्यु हो जाने का उल्लेख है। पुलिस द्वारा मर्ग रिपोर्ट संख्या 26 / 2019 की जॉच कार्यवाही के दौरान बनाया गया मृतक की पोस्मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी – 4 व फर्द पंचनामा प्रदर्श पी–5 से मृतक श्रवणराम की मृत्यु करंट से होने का तथ्य प्रमाणित है, जो तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकृत है। मर्ग जॉच रिपोर्ट में बिजली के करंट से मृतक श्रवणराम की मृत्यु होने का तथ्य अंकित है। पी.एम.आर. रिपोर्ट में भी बिजली के शॉक से मृत्यु होना बताया है। अतः संपूर्ण जॉच एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से श्रवणराम की मृत्यु बिजली के तारों से करंट आ जाने व उसे छू जाने से , होना प्रमाणित है। ''

20. उक्त समस्त साक्ष्य से पत्रावली पर घटना स्थल पर विद्युत के तारों से करंट आने का तथ्य प्रमाणित है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त विद्युत तारों के रखरखाव व मेनटेनेंस बाबत कोई रिकार्ड साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि विद्युत तारों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्युत विभाग की थी परन्तु पत्रावली पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विभाग अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाह रहा है तथा प्रकरण में जो घटना घटित हुई है, वह प्रतिवादीगण विभाग की उपेक्षा व लापरवाही का परिणाम होने का तथ्य भी युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विनिश्चत किया जाता हैं तथा विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व विनिश्चत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 :–

21. '' आया इस प्रकरण की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है ?

22. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण ने दौराने मौखिक साक्ष्य में भवानी सिंह डी.डब्ल्यू. 1 के सशपथ बयान कराये है। इस अभियोजन साक्षी ने दौराने मुख्य परीक्षण घटना स्थल का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने का कथन किया है।

23. इस साक्षी ने दौराने प्रति परीक्षण इस संबंध में सशपथ कथन किया है कि, यह सही है कि हमारा सबसे बडा कार्यालय जयपुर में विद्युत भवन में स्थित है।

24. इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इस साक्षी ने दौराने प्रति परीक्षण इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका प्रधान कार्यालय जयपुर में विद्युत भवन में स्थित है , इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि जब प्रधान कार्यालय ही जयपुर में स्थित है, तो प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी जयपुर में भी होगा। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित अभिवचनों व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में तथा स्वयं प्रतिवादीगण के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रस्तुत तर्को के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे कि प्रतिवादी के कथनों को बल प्राप्त होता हो। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय को विद्युत प्रकरणों से संबंधित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय होने के कारण, क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा धारा 20 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत भी हस्तगत न्यायालय को प्रकरण में कार्यवाही की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। निष्कर्षतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्व विनिश्चत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 :–

25. '' आया प्रतिवादीगण की लापरवाही से मृतक श्रवणराम की मृत्यु होने से वादीगण, प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति स्वरूप 52,71,000/– रूपये तथा दावा दायरी से अदायगी तक 18 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है ? ''

26. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था। हस्तगत प्रकरण के संबंध में चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 3 में विस्तृत विवेचन के उपरांत यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि मृतक श्रवणराम की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही की वजह से हुई है। फलतः ऐसी स्थिति में वादीगण मृतक श्रवणराम की मृत्यु के लिए प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

27. इस विवाद्यक में वादीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने के संबंध में विनिश्चय किया जाना है। चूंकि यह वाद घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त अधिनियम के तहत जीवन हानि के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि की गणना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं

दिए गए है। अतः हस्तगत वाद में वादीगण को हुई जीवन हानि के संबंध में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं तथा इस संबंध में जो न्याय निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं, उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए व उनको ही अडोप्ट (अंगीकार) करते हुए हस्तगत प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जा रहा है।

28. हस्तगत वाद में सर्वप्रथम इस तथ्य के बारे में विचार करने पर कि वादीगण दुर्घटना में मृतक श्रवणराम की मृत्यु होने से कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

29. इस संबंध में सर्वप्रथम मृतक श्रवणराम की आयु पर विचार करने पर प्रकट होता है कि वादीगण ने अपने वादपत्र तथा साक्ष्य में मृतक श्रवणराम की आयु मृत्यु के समय 19 वर्ष होना अंकित किया है, किन्तु वादीगण की ओर से मृतक श्रवणराम की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 4 व फर्द पंचनामा प्रदर्श 5 में मृतक श्रवणराम की आयु 18 वर्ष ही अंकित है, अतः मृतक श्रवणराम की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाती है। फलतः उक्त साक्ष्य के आधार पर मृतक श्रवणराम की आयु उसकी मृत्यु के समय 18 वर्ष होना मानकर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

30. प्रकरण में जहां तक मृतक श्रवणराम की आय का बिन्दु है तो इस संबंध में वादपत्र में मृतक का कृषि कार्य करके 10,000/– रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना वर्णित है। इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी ए.डब्ल्यू. 1 चौथाराम ने अपने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यों की सम्पुष्टि की है, किन्तु इस संबंध में वादीगण की ओर से मृतक श्रवणराम की आय एवं व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। चूंकि मृतक की आयु घटना के समय 18 वर्ष होने का तथ्य पत्रावली पर सामने आया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक की आयु व कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की आय का निर्धारण राजस्थान राज्य में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार निर्धारित किया जाना न्यायोचित है तथा इस आधार पर दुर्घटना की दिनांक 13.11.2019 को मृतक की आय 225/– रूपये प्रतिदिन व 5850/– रूपये मासिक अर्थात् 70,200/– रूपये वार्षिक निर्धारित की

जाती है। मृतक की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मृतक की आय में भविष्य की प्रत्याशा हेतु बढ़ोतरी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave Petition (Civil) No. 25590 Of 2014 (SC), National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi and Ors. में दिनांक 31.10.2017 को पारित निर्णय से मार्गदर्शन लिया गया। चूंकि मृतक श्रवणराम कृषि का कार्य करता था। अतः मृतक की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की आय में भविष्य की प्रत्याशा हेतु 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में मृतक की वार्षिक आय 70,200/–रूपये में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी के उपरान्त 98,280/– रूपये वार्षिक आय होती है।

31. प्रकरण में जहां तक मृतक पर आश्रितता का संबंध है, तो इस संबंध में वादी संख्या 01 व 02 मृतक के माता–पिता है। अतः वादीगण सं0 01 व 02 को मृतक पर आश्रित माना जाकर मृतक के आश्रितों की संख्या 02 निर्धारित की जाती है।

32. जहां तक उक्त आय के गुणक का संबंध है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी संख्या 01 व 02 को मृतक पर आश्रित माना गया है। चूंकि मृतक के विवाहित होने तथा उसके संतान होने का कोई प्रमाण या तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक के दो आश्रित माना जाकर 1/2 राशि मृतक के स्वयं के खर्चें के लिए कम की जाकर क्षतिपूर्ति राशि का आकलन किया जाना न्यायोचित है।

33. उपरोक्तानुसार प्रतिकर का आकलन करने पर मृतक की वार्षिक आय 98,280/– रूपये निर्धारित की गई है, जिसमें से व्यक्तिगत खर्चें के 1/2 अर्थात 49,140/– रूपये की कटौती करने पर शेष राशि 49,140/– रूपये आती है तथा मृतक की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः इस प्रकरण में 18 का गुणांक लागू होगा। मृतक की वार्षिक आय 49,140/– रूपये को 18 से गुणा करने पर आय की हानि कुल 8,84,520/– रूपये बनती है।

34. वादीगण को अन्य मदों में क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पीटिशन (सिविल नंबर 25509/2014) नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लि0 बनाम प्रणय सेठी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित न्यायिक निर्णय Magma General Insurance Company Ltd.

Vs. Nanuram and Others, 2018 (18) SCC 130, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित न्यायिक निर्णय New India Insurance Co. Ltd Vs. Somwati 2020 (9) SCC 644 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा United India Insurance Co. Ltd Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors., Civil Appeal No. 2705/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2020 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त सम्मानित न्यायिक विनिश्चियों में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार चूंकि वादी संख्या 01 व 02 मृतक के माता–पिता हैं, जो दुर्घटना में मृतक श्रवणराम की मृत्यु होने से वादी सं. 01 व 02 अपनी देखभाल व पुत्र स्नेह से सदैव के लिए वंचित हो गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादी संख्या 01 व 02 को पुत्र स्नेह, सरंक्षण व देखभाल से वंचित होने के लिए (Parental Consortium) 40,000/- रूपये प्रत्येक को अर्थात् 80,000/–रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया जाना न्यायसंगत है। साथ ही उक्त दुर्घटना में मृतक श्रवणराम की मृत्यु हो जाने के कारण सम्पदा की क्षति के रूप में 15,000/– रूपये व मृतक के अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 15,000/– रूपये की एकमुश्त राशि अर्थात 30,000/– रूपये की राशि वादीगण को दिलवाया जाना न्यायसंगत है। अतः इस मद में वादीगण निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

Loss of Parental Consortium – 80,000 /- रूपये

सम्पदा की क्षति व दाह संस्कार के लिए 30,000/– रूपये, कुल राशि 1,10,000/– रूपये।

35. उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है–

(1) आश्रितता की क्षति के लिए – 8,84,520/– रूपये

(2) Spousal, Parental के लिए 80,000/– रूपये तथा सम्पदा की क्षति व दाह संस्कार के लिए 30,000/– रूपये, कुल 1,10,000 रूपये

कुल क्षतिपूर्ति राशि –– 9,94,520/– रूपये।

36. अतः उक्त विवाद्यक संख्या 2 उपरोक्तानुसार वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 4</u> (अनुतोष)

37. उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से कुल 9,94,520/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा

प्रतिवादीगण से प्राप्त की गई प्रतिकर राशि (5,00,000/–रूपये) मूल डिक्री की राशि में समायोजित की जावेगी। साथ ही शेष राशि पर वादपत्र पेश करने की तिथि 09.11.2020 से ता–वसूली 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वादीगण को दिलवाया जाना उचित है। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्राप्त की गई अन्तरिम प्रतिकर राशि (यदि कोई हो तो) मूल डिक्री की राशि में समायोजित की जावेगी। अतः उपरोक्तानुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद अन्तर्गत घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:: आ दे श ::–

38. परिणामतः वाद वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के खिलाफ स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैः–

(01). वादीगण, प्रतिवादीगण से कुल प्रतिकर राशि 9,94,520/–रूपये में से 5,00,000/–रूपये प्रतिकर राशि समायोजित करने के पश्चात शेष क्षतिपूर्ति राशि 4,94,520/–रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वादीगण शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 09.11.2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी वसूली होने तक प्राप्त करेगे।

(02). यह शेष राशि 4,94,520/– रूपये का भुगतान मय ब्याज निम्न प्रकार किया जावेगाः–

क्र.सं.	नाम वादी	बचत खाता	सवाधि जमा	सावधि जमा अवधि
1.	चौथाराम	47,260/–रूपये मय ब्याज	1,00,000/– 1,00,000/–	02 वर्ष 04 वर्ष
2.	श्रीमती देवी	47,260/–रूपये मय ब्याज	1,00,000/– 1,00,000/–	02 वर्ष 04 वर्ष

(03). समस्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में की जायेगी एवं समय से पूर्व इस अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नही की जा सकेगी, ना ही उक्त एफ.डी.आर. पर किसी प्रकार का ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।

(04). उक्त डिक्री की राशि मय ब्याज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम–1, जयपुर महानगर–प्रथम के नाम से चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय की दिनांक से 02 माह के भीतर अदा की जाए।

(05). तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावें।

(मनोज मीना)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम01,जयपुर महानगर–प्रथम

39. निर्णय आज दिनांक 29.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनोज मीना)
अपर जिला न्यायाधीश,
कम01, जयपुर महानगर–प्रथम

SAMEER
KUMAR
SAXENA